रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एल.)-72 REGISTERED No. D. (D.N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 194] नई दिल्ली, शुक्रवार, अप्रैल 27, 1984/वैशाख 7, 1906
No. 194] NEW DELHI, FRIDAY, APRIL 27, 1984/VAISAKHA 7, 1906

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वित्त मंत्रालय

(वार्थिक कार्य विभाग)

(बैंकिंग प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 अप्रैल, 1984

का. आ. 322(अ) :—क्रिट फंड अधिनियम, 1982 (1982 का 40) की धारा 1 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा मई, 1984 के पहले दिन को उस तारीख के रूप में निर्धारित करती है जिस तारीख से उक्त अधिनियम के उपबंध चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र पर लागू होंगे ।

[संख्या 2/3/84-बी.ओ.-1]

बी. के सिंघल, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economic Affairs)

(Banking Division)

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th April, 1984

S.O. 322(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 1 of the Chit Funds Act, 1982 (40 of 1982), the Central Government hereby appoints the 1st day of May, 1984, as the date on which the provisions of the said Act shall come into force in the Union territory of Chandigarh.

[No. F. 2|3|84-BO.I]
V. K. SIBAL, Jt. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1984